सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, Website- www.socialauditup.in,
E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 36 / सो.आ.नि.–220 / 2014
दिनाँकः 16 अप्रैल, 2014

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः DSACs/BSACs को यात्रा–भत्ता की अनुमन्यता।

महोदय,

आप अवगत हैं जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों तथा ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों को अपने कार्यक्षेत्र (जनपद / विकास खण्ड) में स्थानीय यात्रा के लिए नियत यात्रा–व्यय का भुगतान क्रमशः रु0 3000 तथा रु0 2000 प्रतिमाह की दर से अनुमन्य है। उक्त के अतिरिक्त DSAC/BSAC को निदेशालय द्वारा निर्देशित किए जाने पर शासकीय कार्यहित में प्रतिभाग करने, प्रशिक्षण पर जाने इत्यादि प्रयोजनों से यात्रा करनी पड़ती है।

2. अपने कार्यक्षेत्र से बाहर बैठकों में प्रतिभाग करने या प्रशिक्षण हेतु यात्रा करने पर DSAC/BSAC को अतिरिक्त रूप से शासकीय नियमों के अनुसार यात्रा–व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। उदाहरणार्थ लखनऊ में बैठक हेतु आने पर DSAC/BSAC को यात्रा हेतु निम्न विवरण के अनुसार यात्रा–भत्ता देय होगाः–

(क) DSAC/BSAC को रेल या बस की साधारण श्रेणी या रेल की द्वितीय श्रेणी (शयनयान), जिसमें वास्तव में यात्रा की गई हो की दर से बस या रेल का किराया,

(ख) **आनुषंगिक व्यय** : 15 पैसे प्रति किमी0 की दर से (ट्रेन / बस से तय की गई दूरी पर)

(ग) **दैनिक भत्ता** : रु0 195 प्रतिदिन (8 घण्टे से अधिक के अवस्थान पर लखनऊ हेतु)

(घ) **सड़क मील भत्ता** : अल्प दूरी की यात्राओं (निवास स्थान / गन्तव्य स्थान से रेलवे स्टेशन / बस स्टेशन) के लिए वास्तविक दूरी के आधार पर रु0 10.00 प्रति किमी0 सड़क मील भत्ता देय होगा।

3. **दैनिक भत्ता** : 'ख' श्रेणी नगर – रु0 180 प्रति दिन की दर
: 'ग' श्रेणी नगर – रु0 120 प्रति दिन की दर

4. इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद में प्रशिक्षण हेतु जाने पर भी उक्त दरों पर यात्रा–व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी, किन्तु संस्थान में रहने–खाने की सुविधा निःशुल्क होने के कारण दैनिक भत्ता चौथाई दर यानि रु0 195 / 4 = रु0 48.75 पै0 की दर से अनुमन्य होगा।

Arun DT

5. कृपया उपरोक्तानुसार निदेशालय के निर्देशों के अनुपालन में यात्रा किए जाने पर DSAC/BSAC को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति करने हेतु उनसे बिल प्राप्त कर उस पर प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त बिल की धनराशि के आवंटन हेतु इस निदेशालय को प्रस्ताव भेजने हेतु जिला विकास अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें। प्रस्ताव प्राप्त होने पर धन आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यात्रा–भत्ता बिल इस निदेशालय को नहीं भेजा जाना है और उसका भुगतान जिला विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक।

पत्रांकः– 36 / सो0आ0नि0–220 / 2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : समस्त जिला विकास अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(शंकर सिंह)
निदेशक।

Arun DT